न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 136 / 2019 अपील (GCMS 2019/00160)
पंजीयन दिनांक– 28 / 11 / 2019
निर्णय दिनांक– 19 / 02 / 2024

श्री भंवर पिता भेरा भील, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया) जिला उदयपुर मृतक के बजायः–

1. श्रीमती वासकी बाई बेवा भंवरलाल भील, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।
2. श्री राजू पिता भंवरलाल भील, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।
3. श्रीमती वंदना पिता भंवरलाल भील, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।
4. श्रीमती प्रियांका पिता भंवरलाल भील, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री रामविलास पिता धुरीलाल मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।
2. श्री जयपाल पिता धुरीलाल मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।
3. लाजवंती पिता धुरीलाल मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।
4. प्रियंका पिता पिता धुरीलाल मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।
5. प्रतापीबाई पत्नि धुरीलाल मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।
6. श्री प्यारेलाल पिता भेरा मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।
7. श्री नन्दलाल पिता भेरा मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।

8. श्री रेवाशंकर पिता पिता भेरा मेघवाल, निवासी गणेशपुरा, तहसील झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झाडोल (फलासिया), जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा — अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री सुरेश शर्मा — अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सख्यां 1 से 8
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 07/2017
(प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती) निर्णय दिनांक 06.02.2019

निर्णय

दिनांक 19/02/2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर के प्रकरण संख्या 07/2017 निर्णय दिनांक 06.02.2019 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 28.11.2019 को दर्ज की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मौजा गणेशपुरा तहसील झाडोल में स्थित आराजी नम्बर 331 रकबा 0.1300 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 332 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट्स के खाते दर्ज हुई है, जबकि उक्त आराजीयात पर अपीलांट्स का कब्जा पूर्वजों के समय से

निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। उक्त आराजी पूर्व में अपीलांट्स के दादा श्री दल्ला पिता होमा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसके साबिक आराजी संख्या 172 एवं 173 थे। उक्त दोनों आराजीयात में दल्ला पिता होमा ने आराजी संख्या 172 रकबा 12 बिस्वा का सम्पूर्ण हिस्सा एवं आराजी संख्या 173 रकबा 4 बीघा 6 बीस्वा का आधा हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के दादा, 5 के ससुर, 6 से 8 के पिता भेरा पिता लाला मेघवाल, निवासी गणेशपुरा को दिनांक 22.01.1971 को रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया था। उक्त विक्रय के पश्चात् वर्णित आराजी को भेरा पिता लाला ने अपने खाते में दर्ज कराकर पुनः प्रार्थी के दादा दल्ला पिता होमा भील को सुपुर्द कर दी थी। उक्त विक्रय के पश्चात् दिनांक 03.04.1971 को जरिये नामान्तरकरण उक्त भूमि दल्ला पिता होमा भील के बजाय भेरा पिता लाला मेघवाल के नाम दर्ज स्वीकृति हुई, लेकिन उक्त नामान्तरकरण अवैध एवं शून्य होने से धारा 42 आर. टी. एक्ट का उल्लंघन होने से राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, झाडोल अन्तर्गत धारा 175 आर. टी. एक्ट 1955 के तहत भेरा पिता लाला व प्रार्थी के दादा भेरा पिता दल्ला एवं धुली बेवा दल्ला के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल के यहां वाद दायर किया। जिसमे उपरोक्त विक्रय अवैध एवं शून्य घोषित फैसला राज्य सरकार जरिये तहसीलदार के पक्ष में निर्णित किया जाकर साबिक आराजी संख्या 172 का सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 173 का आधा हिस्सा राज्य सरकार के खाते में बिलानाम दर्ज कर दिया गया तथा उक्त वाद में रेस्पोडेंट्स के बयान में स्पष्ट जाहिर आया कि दल्ला पिता होमा ने वर्णित आराजी पर भेरा पिता लाला को रजिस्टर्ड विक्रय होने के बावजूद कब्जा दल्ला पिता होमा और उसके वारिस भेरा पिता दल्ला व धुली बेवा दल्ला का ही रहा था। उक्त भूमि बिलानाम दर्ज होने के पश्चात् रेस्पोडेंट्स के पूर्व पुरूष भेरा पिता लाला मेघवाल ने तत्कालीन पटवारी हल्का व

अधिकारियों से मिलकर अपने आप को भूमिहीन व कब्जेधारक बताते हुए बिलानाम भूमि को अपने नाम गैर खातेदारी दर्ज करा दी। इस प्रकार उपरोक्त भूमि गलत तरीके से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के पूर्वज भेरा पिता लाला के नाम आवंटन हुई तथा इसी खातेदारी को रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 नाजायज फायदा उठाने की नियत से हडपना चाहते है। इस प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के पूर्वज के नाम आवंटन दिनांक 18.01.1979 एवं आराजी संख्या 331 व 332 के खातेदारी अधिकार को निरस्त किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 07/2017 निर्णय दिनांक 06.02.2019 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.02.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:-*"अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा गणेशपुरा, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 172 एवं 173 पर विपक्षीगण के पूर्व पुरूष श्री भेरा पिता लाला मेघवाल के नाम पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिसल संख्या 1192/78 से किया गया आवंटन दिनांक 18.01.1979 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।"*

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश शमा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 9 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 13.02.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि कथित आवंटन नियमों के विपरीत किया गया था। यदि कोई भूमि धारा–42 के उल्लंघन के कारण 175 के तहत बिलानाम की जाती है तो वह भूमि उसी व्यक्ति को या उस जाति के व्यक्ति को जिसने भूमि क्रय की थी उन्हें आवंटन करने पर आवंटन नियमों में रोक लगा रखी, परंतु आवंटन कमेटी ने उक्त तथ्यों की जानकारी किए बिना पटवारी हल्का के कहने मात्र से गलत आवंटन रेस्पोडेंट्स के पूर्वज को कर दिया गया। पूर्व में आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र समय पर नाम कायमी नही करने के कारण तकनीकी आधार पर खारिज किया गया था मेरिट पर निर्णय पारित नहीं किया गया था इसलिए रेसज्यूटीकेटा का सिद्धांत लागू नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी जिसमें अपीलांट का कब्जा स्पष्ट रूप से बताया गया है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही कार्यवाही की जा सकती है। उक्त टिप्पणी अधीनस्थ न्यायालय में कानून के विपरीत की है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल ने अपने कई निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि कोई आवंटन जो नियमों के विपरीत, फ्रॉड एवं मिसरिप्रजनटेशन से किया गया हो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद भी निरस्त किया जा सकाता है। आवंटन नियमों की शर्तो की पालना करना आवंटी के लिए आज्ञापक है तथा शर्तो का उल्लंघन होने मात्र से आवंटन काबिल निरस्त के होता है। इस मामले में आवंटन गलत किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है। एलोटमेंट रूल्स मेन्डेट्री है तथा उसके संबंध में स्पष्ट है कि निर्णय के विपरीत आवंटन कर दिया गया है तो वह नल एण्ड वोइड है तथा ऐसे आवंटन को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRD 1982

Page 476, 337 & 457, RRD 2005 Page 629, विकली लॉ नॉट 1988 Page 473, RRD 1982 NOC 21, RRD 1994 Page 311, RRD 1990 Page 28, 465, RRD 1982 Page 497, RRD 1985 Page 564-B, RRD 1995 Page 340, RRD 1990 Page 564, RRT 2009 Page 1114 RRD 2002 Page 1 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि रेस्पोडेंट्स के पूर्व पुरूष को उक्त आराजीयात का आवंटन दिनांक 18.01.1979 को हुआ है। वक्त आवंटन भूमि की किस्म बिलानाम थी एवं उक्त आवंटन के लगभग 33 वर्ष पश्चात् अपीलांट्स के पूर्व पुरूष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती दिनांक 23.08.2012 को पेश किया था। जिसे दिनांक 02.06.2016 को खारिज कर दिया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्व—न्याय के सिद्धांत पर आधारित होने से प्रारम्भिक रूप से ही निरस्त योग्य है। वक्त आवंटन भूमि बिलानाम सरकार थी एवं नियमानुसार आवंटन कमेटी की राय के अनुसार उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेंट्स के पूर्व पुरूष को किया गया एवं रेस्पोडेट्स के पूर्व पुरूष की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि विधिवत तरिके से रेस्पोडेंट्स के खाते दर्ज हुई है। उक्त आवंटित भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा न होकर रेस्पोडेंट्स का ही कब्जा है जो कि खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है। उपखण्ड अधिकारी, झाडोल द्वारा भी अपीलांट्स को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। रेस्पोडेंट्स को आवंटित उक्त आराजीयात का अपीलांट्स से कोई सरोकार नहीं है। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्रकरण के विरूद्ध अपीलांट्स या उनके पूर्व पुरूष द्वारा कोई अपील नहीं की गयी एवं पुराने तथ्यों को ही आधार बनाकर पुनः नये सिरे से उक्त अपील पेश की गई है, जो निरस्त योग्य है। अधिवक्ता रेसपोडेंट संख्या 1 से 8 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2007 (2) Page 1430, RRT 2019 (2) Page 938, RRT 2017 (2) Page 878, RLW (RJ)

(2) Page 1272, RRT 2018 (2) (HC) Page 1007, RBJ 1995 (2) (HC) Page 780, RRT 2007 (2) Page 1433, RRT 2006-2007 (Supp.) Page 122, RRT 2018 (1) Page 299, RRT 2018 (2) Page 1275 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स खारिज किया बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 9 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ अति. जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 06.02.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.02.2019 की अपील अपीलांट्स द्वारा दिनांक 17.10.2019 को पेश की गयी है, जो अंदर मयाद पेश की गई है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मौजा गणेशपुरा, तहसील झाडोल में स्थित आराजी नम्बर 331 रकबा 0.1300 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 332 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में जरिये आवंटन से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के पूर्वज के खाते दर्ज है। इस प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के पूर्वज के नाम आवंटन दिनांक 18.01.1979 एवं आराजी संख्या 331 व 332 के खातेदारी अधिकार निरस्त किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 07/2017 (प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्त) निर्णय दिनांक 06.02.2019 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- प्रकरण में विवाद रेस्पोडेंट्स के पूर्व पुरूष को आवंटित आराजी जिसके हाल आराजी संख्या 172 के सम्पूर्ण हिस्से एवं 173 के आधे हिस्से का है। जिसके हाल आराजी नम्बर 331 रकबा 0. 1300 हेक्टेयर एवं 332 रकबा 0.2500 हेक्टेयर हो रेस्पोडेंट्स के खाते दर्ज है, जिस पर उभयपक्ष द्वारा अपना–अपना कब्जा बताया जा रहा है। आवंटन पत्रावली संख्या 1192/78 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रेस्पोडेंट्स के पूर्व पुरूष श्री भेरा पिता लाला मेघवाल द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर रेस्पोडेंट्स को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, सरपंच एवं उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त आवंटन सलाहकार समिति की राय के आधार पर हुआ है।

- प्रकरण में आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट में कब्जा प्राप्तकर्ता के रूप में रेस्पोडेंट्स के पूर्व पुरूष श्री भेरा मेघवाल के हस्ताक्षर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक तथा गवाहान की उपस्थिति में मौजूद है। अपीलांट द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में अपीलांट द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की अपीलांट का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि अपीलांट का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे अपीलांट्स के पास उपलब्ध होती, जो अपीलांट्स का कब्जा साबित करती।

- स्पष्ट है कि अपीलांट्स एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 4/2012 में पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.06.2016 में अपीलांट के पूर्व पुरूष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था। जिसकी कोई अपील अपीलांट के पूर्व पुरूष अथवा अपीलांट द्वारा नही की गयी है। मात्र पुराने तथ्यों को पुनः आधार बनाकर गलत तरीके से तथ्यों को छुपाते हुए मेरिट के आधार पर प्रकरण को निर्णित कराने के लिये अपीलांट द्वारा एक ओर प्रार्थना पत्र एवं उक्त अपील पेश किया जाना प्रथम दृष्टया जाहिर होता है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्व–न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है क्योकि जब एक बार उक्त प्रकरण गुणा–अवगुण के आधार पर निर्णित कर दिया गया है तो पुनः उन्हीं आधारो पर उक्त तथ्यों को छुपाकर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा नियम 14(4) की कार्यवाही नही की जा सकती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र नियम 14(4) रेस ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान जमाबन्दी की नकल के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि रेस्पोडेंट्स के पूर्व पुरूष को आवंटित उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट्स को आवंटन नियमों की पालना के फलस्वरूप खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही की जाना हम उचित नहीं समझते है। एक बार आवंटी को खातेदारी अधिकार हासिल हो जाने के बाद उसके काश्तकारी अधिकार केवल काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार ही समाप्त किये जा सकते है।
- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा आवंटन दिनांक 18.01.1979 के इतने लम्बे समय पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में

उक्त आवंटन निरस्ती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं अपील न्यायालय हाजा में पेश की है एवं न ही सन्तोषप्रद कारण या स्पष्टीकरण इस बाबत पेश किया है। रेस्पोडेंट्स के पूर्व पुरूष को आवंटित उक्त भूमि के आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध न होने से ऐसे आवंटन को बहाल रखा जाना हम उचित समझते है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट्स अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 06.02.2019 तथा मौजा गणेशपुरा तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 172 एवं 173 पर रेस्पोडेंट्स के पूर्व पुरूष श्री भेरा पिता लाला मेघवाल के नाम पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा मिसल संख्या 1192/78 से किया गया आवंटन दिनांक 18.01.1979 को यथावत रखा जाता है। अपीलांट्स यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर